न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
61 / प्रा0पत्र / 2021	26.07.2021	28.10.2021

1. कालूलाल आ0 हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. गंगा बाई पुत्री हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
3. प्रकाशचंद आ0 हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
4. प्रेम बाई पत्नी स्व0 हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
5. पुरही पुत्री हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
6. बिरमा पुत्री हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
7. मांगीलाल आ0 हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
8. राधेश्याम आ0 हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
9. सीता पुत्री हीरा जाति भील गरासिया निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. यह कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 162 पुराना 159 की ख0सं0 2106 / 1277 रकबा 0.9712 हेक्टेयर वाके ग्राम देवरिया तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप में काबिज काश्त है एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं भूमि ग्राम देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है तथा ग्राम देवरिया की आधी से भी ज्यादा गैर खातेदारी में चली आ रही थी जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था।
3. यह कि प्रार्थीगण की भूमि जो चरण सं0 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में आनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में प्रार्थीगण जहॉ काबिज है। वहॉ का नक्शा व प्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 2106 / 1277 पर अंकित किया गया एवं दूसरी जगह का नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि ख0सं0 2106 / 1277 पर अंकित कर दिया जो कि गलत इन्द्राज हुआ।
4. यह कि एल.आर.एक्ट की धारा 136 मे यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम से गलती हुई तो प्रार्थीगण के काबिज काश्त के आधार पर पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवाकर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धि करवायी जा सकती है।
5. यह कि गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदारान प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

निवास करते है एवं इस बाबत् जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी देवरिया से दिनांक 21.06.2000 को निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का देवरिया के द्वारा प्रार्थीगण के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थीगण की समस्या का कोई समाधान नही किया गया।

6. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार तालेड़ा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धि के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा प्रार्थीगण की बात नही सुनी एवं प्रार्थीगण की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में बना हुआ है।

7. यह कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि प्रार्थीगण की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करवाये की पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्धिकरण दर्ज कर अंकित करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 162 पुरा 159 की ख0सं0 2106/1277 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आनलाईन नक्शे का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खसरा संख्या की तरमीम ख0सं0 1277 के दक्षिण–पश्चिम मेड के पास होना पाया गया। राजस्व रिकार्ड मूल नक्शा लट्टा में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नही हो रही है। ऑनलाईन तरमीम की जगह खातेदारो का कब्जा कभी भी नही रहा, जबकि उक्त खातेदार इसी खसरा सं0 1277 में अन्य जगह पर काबिज रही है, जिसका नजरी नक्शा जवाब के साथ संलग्न है एवं ऑनलाईन नक्शे में पूर्व में की गई तरमीम निरस्त कर उक्त खसरे की प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है तथा जिसमें प्रस्तावित शुद्धि अनुसार ऑनलाईन तरमीम को शुद्ध करने की अनुशंषा कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 162 ग्राम देवरिया संवत् 2076, पटवारी मौका रिपोर्ट ग्राम देवरिया, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम देवरिया की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा खातेदारी भूमियो का राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण पृविष्टयों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत पेरोकार सरकार जवाब एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि का ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवरिया तहसील तालेडा की ख0सं0 2106/1277 रकबा 0.9712 है0 भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौके पर जांच किया जाकर जांच अनुसार भूमि के रकबा की इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (प्रथम) तालेडा जिला बून्दी

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner